E-Mail

# वैशाली समाहणालय, हाजीपुर

(जिला कल्याण कार्यालय)

## विकास मित्र नियोजन : समय सारणी

**जिला कल्याण पदाधिकारी, वैशाली, अनुमंडल पदाधिकारी, हाजीपुर एवं महुआ नीचे दिए सारणी के अनुसार पातेपुर/ बिदुपुर प्रखंड में विकास मित्र नियोजन हेतु निर्धारित गतिविधियों को निर्धारित अवधि में पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।**

| क्र0सं0 | कार्य दिवस | गतिविधि | अवधि |
|---|---|---|---|
| 1. | विकास मित्र चयन समिति का गठन | हाजीपुर एवं महुआ अनुमंडल स्तर पर विकास मित्र चयन समिति का गठन | 15.07.2025 |
| 2. | रिक्तियों का प्रकाशन | • पातेपुर प्रखंड के मौदह बुजुर्ग पंचायत में रिक्ति का समाचार पत्रों में प्रकाशन। (एक पद)<br>• बिदुपुर प्रखंड के जुरावनपुर पंचायत में रिक्ति का समाचार पत्रों में प्रकाशन। (एक पद) | 18.07.2025 |
| 3. | संबंधित प्रखंड/नगर निकाय में आवेदन पत्र प्राप्त करना। | • प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचायत एवं वार्ड समूह (कलस्टर) से विकास मित्र नियोजन के लिए आवेदन पत्र अपने कार्यालय में प्राप्त करेंगे।<br>• आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र–6 में लिया जाएगा।<br>• आवेदन पत्र सभी महादलित जाति से लिया जाएगा जिस जाति की बहुलता का निर्धारण अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा निर्धारित किया गया है। | 21.07.2025 से 28.07.2025 |
| 4. | मेधा सूची का तैयार करना एवं प्रकाशन | • प्रखंड विकास पदाधिकारी प्राप्त आवेदन पत्रों में से मेधा सूची निर्धारित प्रपत्र–1 के अनुसार तैयार करेंगे एवं अपने कार्यालय पंचायतों/वार्ड समूहों के सूचना पट्ट पर प्रकाशित करेंगे। | 05.08.2025 |
| 5. | मेधा सूची पर आपत्ति प्राप्त करना एवं निराकरण | • मेधा सूची पर आपत्ति प्राप्त करना एवं निराकरण। | 11.08.2025 |
| 6. | चयन सूची तैयार करना एवं अनुमोदन | • प्रखंड विकास पदाधिकारी चयन सूची तैयार कर अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के समक्ष रखेंगे और अनुमोदन प्राप्त करेंगे। | 18.08.2025 |
| 7. | चयन सूची का प्रकाशन आपति प्राप्त कर आपति का निराकरण एवं नियोजन सूची का प्रकाशन | • प्रखंड अंतर्गत प्रत्येक पंचायतवार जिन अभ्यर्थियों को मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा में प्राप्तांक का सर्वाधिक प्रतिशत प्राप्त है उनके नाम एवं प्रतिशत के साथ चयन सूची तैयार कर प्रपत्र–2 के अनुसार प्रकाशित की जाएगी।<br>• आवेदिका की उम्र 01.01.2025 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 50 वर्ष होना चाहिए।<br>• अनुमंडल पदाधिकारी चयन सूची पर आपत्ति का निराकरण भी करेंगे।<br>• अनुमंडल पदाधिकारी निर्धारित प्रपत्र–3 में नियोजन सूची का प्रकाशन करेंगे।<br>• चयन सूची में सर्वाधिक प्रतिशत प्राप्त व्यक्ति के अनुपलब्धता/योगदान नहीं देने/दस्तावेज फर्जी पाये जाने की स्थिति मे अनुमंडल पदाधिकारी मेधा सूची के नीचे के क्रम वाले अभ्यर्थी के नियोजन की कार्रवाई करेंगे। | 22.08.2025 से 26.08.2025 |
| 8. | नियोजन पत्र का वितरण, शपथ ग्रहण एवं उन्मुखीकरण कार्यशाला | • अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल स्तर पर एक दिवसीय प्रशिक्षण–सह–उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन करेंगे एवं चयनित विकास मित्रों को जन–प्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रपत्र–4 में नियोजन पत्र का वितरण करेंगे।<br>• अनुमंडल पदाधिकारी विकास मित्रों द्वारा महादलित समुदाय के उन्नयन हेतु समर्पित भाव से सतत कार्य कराने का शपथ दिलाएँगे। | 30.08.2025 |

**नोट : विकास मित्र नियोजन के अभ्यर्थी विकास मित्र नियोजन से संबंधित सूचना अनुमंडल पदाधिकारी, हाजीपुर/महुआ प्रखंड विकास पदाधिकारी, पातेपुर/बिदुपुर के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।**

ह0

जिला पदाधिकारी
वैशाली।

ज्ञापांक : 1625 /क0 दिनांक 09/7/25

**प्रतिलिपि** :– प्रखंड विकास पदाधिकारी, पातेपुर/बिदुपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपि** :– अनुमंडल पदाधिकारी, हाजीपुर एवं महुआ को सूचनार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपि** :– मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

5/07/2025

जिला पदाधिकारी
वैशाली।